न्यायालय उप जिला कलेक्टर, चौथ का बरवाड़ा (स.मा.)

मुकदमा सं.–

जीसीएमएस नं. 2011/00154

पीठासीन अधिकारी – श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा (आर.ए.एस)

उनवान – ओमप्रकाश कोली वगै. बनाम प्रेम वगै. दावा बाबत इन्द्राज दुरस्ती घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः – वादी वकील श्री अब्दुल वहाब

– सरकार पैरोकार

निर्णय दिनांकः– 01.12.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कंवरपुरा तहसील– चौथ का बरवाडा में स्थित खसरा नं. 129 जो कई बीघा का रकबा है में से 5 बीघा भूमि खसरा नं. 129/1/15 कायम करते हुये वादी नं. 1 व 2 के पिता हरदेवा पुत्र कोरीलाल कोली को उसके कब्जे के आधार पर आवंटित की गयी थी। इस कृषि भूमि का वर्तमान नवीन खसरा नं. 406 रकबा 1.16 है. तथा खसरा नं. 407 रकबा 0.11 है. कायम हो चुके है।

आवंटित की गयी 5 बीघा भूमि पर वादीगण 1 व 2 के पिता एवं वादी नं. 3 के पति आवंटी हरदेवा को आवंटन पश्चात कब्जा दिया गया था जिस पर हरदेवा आवंटी जीवन काल में काबिज रहा और हरदेवा के देहान्त के बाद हम वादीगण काबिज है एवं कमलेश पुत्री रूपचन्द नट निवासी कंवरपुरा ने फसल बुवाई कर रखी है।

यह कि जो 5 बीघा भूमि वादीगण 1 व 2 के पिता तथा वादी नं. 3 के पति हरदेवा को आवंटित हुयी थी नामान्तरण सं. 30 दिनांक 28.07.2001 को तस्दीक होकर आवंटी हरदेवा के जीवनकाल में ही हरदेवा की खातेदारी में अंकित कर दी गया थी ।

यह कि प्रतिवादी नं. 4 तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा के द्वारा अनाधिकृत कार्यवाही करके वादीगण की खातेदारी में से हटाकर 28.07.2001 के बाद गैर–ख[illegible] अंकित कर दी गयी जिसका प्रतिवादी नं. 4 को कोई अधिकार [illegible] दावा करना लाजिम आया।

यह कि वादीगण के कब्जे में विद्यमान खसरा नं. 406 रकबा 1.1[illegible] तथा खसरा नं. 407 रकबा 0.11 है. का नक्शा ट्रेस में से स्थान बदल कर प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 के कब्जे वाली भूमि नवीन खसरा नं. 597 रकबा 1.26 है. के स्थान पर प्रतिवादी नं. 4 के द्वारा दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2022.12.22 11:07:59 IST
Reason: SelfAttested

...या है तथा प्रतिवादीगण नं. 1, 2, 3 के कब्जे वाली खसरा नं. 597 रकबा 1. ...भूमि का भी नक्शा ट्रेस में से स्थान बदल कर वादीगण के कब्जे वाली नवीन ...406 तथा 407 के स्थान पर प्रतिवादी नं. 4 के द्वारा दर्ज कर दिया गया है। ...नं. 4 के द्वारा यह अनाधिकृत कार्यवाही दौरान सेटलमेंट वादीगण को कोई ...दिये बिना की गयी है। जबकि वादपत्र में अंकित भूमि पर प्रतिवादीगण का ...नहीं है।

...उक्त वर्णित कृषि भूमि न्यायालय की सीमा के अंतर्गत स्थित है, अतः दावा ...अधिकारी श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है ...का दावा प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे वाद पत्र में ...भूमि नवीन खसरा नं. 406 रकबा 1.16 है. तथा खसरा नं. 407 रकबा 0.11 है. ...को जो गैर – खातेदारी में अंकित हो रहा है को दुरूस्त फरमाया जाकर गैर– ...की बजाय खातेदारी में अंकित फरमाया जावे। नक्शा ट्रेस में जहाँ खसरा नं. ...है उस स्थान पर खसरा नं. 597 अंकित है उस स्थान पर खसरा नं. 406 तथा ...अंकित फरमाया जाये एवं नक्शा ट्रेस में जहाँ खसरा नं. 406 तथा 407 अंकित है ...नं. 597 को अंकित फरमाया जावें।

...वाद– पत्र वाद जॉच नियमानुसार दर्ज किया गया एवं प्रतिवादीगण की तलबी ...जारी किये गये। प्रतिवादी की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये । 28.05.2014 ...गण के विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही की गयी। वादी द्वारा शपथ –पत्र प्रस्तुत ...जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त हुयी जो शामिल ...की गयी।

...की बहस सुनी गयी एवं उस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध ...जों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है ...को खातेदारी अधिकार 28.07.2001 को प्राप्त हुये परंतु वादीगण के द्वारा ...पत्र 07.10.1998 को उक्त वर्णित भूमि का बेचान कमलेश पुत्र नाथू जाति नट ...या गया। जिसके लिए नामान्तरण सं. 5 दिनांक 06.04.1999 से इन्द्राज स्वीकार

...स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व ही भूमि का ...अन्य व्यक्ति को कर दिया गया जिसका अधिकार वादीगण को नही था।

...बिना खातेदारी अधिकार प्राप्त किये बिना आवंटित भूमि का ... गया ...नुसार नही है। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना ... नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2022.12.22 11:07:59 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद पत्र न्यायहित में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल की जाकर [illegible] दफ्तर की जाती है निर्णय आज दिनांक 01.12.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास [illegible] गया।

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

बहस

तिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2022.12.22 11:07:59 IST
Reason: SelfAttested